

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

24/223

पारम प/उ सुपन

2024/280

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

QA-23

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
जारी हुए

श्री शिवप्रसाद चौधरी श्री

1.9.28

पत्रावली पेश की गई अतिमाधु उपपपस 39।
पत्रावली वालो तलब नोमी रखो ए. 1 से 27
स्पिड 12/11/28 को पेश हो २

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6/11/25

यह पत्रावली अतिमाधु अपीलॉट डरा शापत्र
बाबत करण को आज ही माननीय न्यायालय
के सपदा निमित्त कर अपील किडो फरपोसे जाने
वाले पेश किये जाने से आज तलब की गई
अतिमाधु अपीलॉट ने शापत्र बाबत निवेदन किया
कि उपरोक्त उनवानी अपील में पसकारान के मध्य
आपसी सपदाईश से राजीनामा हो गया है इस करण
अपीलॉट डरा प्रब अपनी अपील को आगे नहीं चलाना
चाहता है एवं ना ही उक्त अपील में आगे कार्यवाही
चाहता है तथा अपील को इसी स्तर पर किडो करवाना
चाहता है। अपीलॉट स्वयं उपलब्ध हुए एवं अडिशनल
पर सहमति स्वरुप हस्ताक्षर किये, जिनकी पहचान 313
अतिमाधु श्री शिवप्रसाद चौधरी ने की।
अतः अपील अपीलॉट आगे नहीं चलाने जाने के कारण
किडो किये जाने से खारिज की जाती है पत्रावली के मलखारा
दिकर नम्बर ले रूप हो २

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पुस्तकानुसारी
6/11/25
जासम



982

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर
अपील डिक्री टी.ए.संख्या.१९०/२०२४ जिला केकडी

अपील चरानी, अपील

वाराणसी

रमेश चंद्र प्रसाद

पारस पुत्र जेटू, जाति रेगर, निवासी केकडी, तहसील व जिला केकडी।

— अपीलांत

वनाम्

18/11/24

1. सुमन पत्नि पवन कुमार जैन
2. सुलोचना पत्नि विमल कुमार जैन
3. कमला पुत्री जेटू रेगर
4. कैलाशी पुत्री कल्याण रेगर
5. तुलसी पुत्री कल्याण रेगर
6. प्रेम पत्नि हंसराज रेगर
7. मुकेश पुत्र हंसराज रेगर
8. महेन्द्र पुत्र हंसराज रेगर
9. राधेश्याम पुत्र हंसराज रेगर
10. सीमा पुत्री हंसराज रेगर
11. शांति पत्नि कैलाश नारायण रेगर
12. पंकज पुत्र कैलाश नारायण रेगर
13. निर्मला पुत्री कैलाश नारायण रेगर
14. मधु पुत्री कैलाश नारायण रेगर
15. विजय पुत्र कैलाश नारायण रेगर
16. गुल्फारी पुत्री जेटू रेगर
17. सुखलाल पुत्र नन्दा रेगर
18. मोतिया पुत्री जेटू रेगर
19. रामप्यारी पत्नि किशनलाल रेगर
20. रामप्रसाद पुत्र जेटू रेगर

28/10/2024
18/11/24

21. ललिता पुत्री किशनलाल रेगर) नाबालिग जरिये संरक्षक माता
 22. सुलोचना पुत्री किशनलाल रेगर) रामप्यारी पत्नि किशनलाल
 समस्त निवासीगण केकडी तहसील व जिला केकडी।
 23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकडी दिनांक 19.5.2023 जो राजस्व वाद संख्या 167/2021 (2021/424) बउनवानी सुमन बनाम् कमला व अन्य में पारित किया गया।

मानयवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:—

- (अ) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पोंडेन्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केकडी में अवस्थित आराजीयात खाता संख्या नया 2736 पुराना 2405 खसरा नम्बर 8115 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 8170 रकबा 2.23 हैक्टर किस्म बारानी 2 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.63 हैक्टर भूमि बावत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 6, 7 व 8, 10, 11, 12 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा तथा